बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-जन संपर्क- 20/2016- /वि०स० ।

प्रेषक,

श्री सुनील कुमार
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- फरवरी, 2016 ई० ।

विषय:- बिहार विधान सभा सचिवालय से संबंधित नियोजन सूचना संख्या-01/2016 का विज्ञापन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन सामग्री संलग्न करते हुए निदेशानुसार सूचित करना है कि इसे आप बिहार से प्रकाशित अपने समाचार पत्र के दिनांक-19.02.2016 के अंक में निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन प्रकाशित करने की कृपा करें :-

(1) इस विज्ञापन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से भुगतान होगा,
(2) विज्ञापन **06** से०मी० **X 08** से०मी० आकार में होना चाहिए,
(3) विज्ञापन प्रकाशन के सात दिनों के अंदर विज्ञापन अंक के साथ विपत्र की तीन प्रतियाँ प्रथम प्रति पर रसीदी टिकट साटकर सभा सचिवालय को निश्चित रूप से भेज दें,
(4) विज्ञापन प्रकाशन के तत्काल बाद विज्ञापन अंक की प्रति सभा सचिवालय को भेज दें,
(5) अपने समाचार पत्र के लिए निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से संबंधित पत्र की प्रति विपत्र में अवश्य संलग्न की जाय ;

विश्वासभाजन,
ह/०-
(सुनील कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या:- जनसंपर्क- 20/2016 349 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2016 ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को बिहार विधान सभा की वेबसाईट पर अपलोड कराने संबंधी कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

18.02.16
(सुनील कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

श्री राजू कुमार
19/02/2016

बिहार विधान सभा सचिवालय पटना

नियोजन सूचना संख्या-01/2016

बिहार विधान सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार विधान सभा सचिवालय से सेवानिवृत्त प्रतिवेदकों से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । विस्तृत विवरणी बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखा जा सकता है एवं आवेदन का प्रारूप डाऊनलोड किया जा सकता है ।

असीम कुमार
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

नियोजन सूचना सं०-01/2016

बिहार विधान सभा सचिवालय में निम्नांकित रिक्त पदों पर बिहार विधान सभा सचिवालय से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

1. प्रतिवेदक : 7 (सात) पद (04 पद अनारक्षित, 01 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 02 पद अनुसूचित जाति)

संविदा के आधार पर सेवा लेने की शर्तें :-

(1) जिस संवर्ग से पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनका चयन उसी संवर्ग के किसी पद के विरूद्ध होगा ।

(2) (क) संविदा पर नियोजन की अनुशंसा चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी ।

(ख) सभा सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारियों के चयन में आदर्श रोस्टर के तहत राज्य सरकार के अनुरूप आरक्षण का नियम लागू होगा ।

(ग) साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(3) नियोजित पदाधिकारी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही देय होगी ।

(4) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र सीमा 67 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

(5) (क) संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा ।

(ख) रिक्त स्थायी पद पर स्थायी नियुक्ति / प्रोन्नति होने पर या नियोजित व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर किसी भी समय उन्हें नियोजन से मुक्त किया जा सकता है ।

(6) उपर्युक्त विज्ञापित पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नियोजन सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2387 दिनांक-02 दिसम्बर, 2011 एवं अधिसूचना सं०-365, दिनांक-01.02.2016 में विहित शर्तों के अधीन की जायेगी ।

(7) नियोजन के लिए आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारी स्वहस्तलिखित पता के साथ सात-सात रुपये के डाक टिकट के साथ 26x10 सें०मी० आकार के दो लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न करेंगे ।

(8) (क) सभा सचिवालय से सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हों वे समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के अन्दर निम्न विहित प्रपत्र में अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निर्बंधित डाक से अधोहस्ताक्षरी को भेज सकते हैं । निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र के लिफाफे पर ''संविदा के आधार पर नियोजन'' तथा पदनाम का उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

(ख) आवेदन पत्र पर यथा स्थान आवेदक को अपना हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साईज का एक फोटो चिपकाना होगा तथा उन्हें दो अतिरिक्त स्वअभिप्रमाणित फोटो भी संलग्न करना होगा ।

(9) विज्ञापन को या उसके किसी भाग को किसी भी समय रद्द / संशोधित करने का अधिकार सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

असीम कुमार
अवर सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय में सेवानिवृत्त कर्मियों को सँविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

नियोजन सूचना सं०-01/2016

पासपोर्ट आकार का फोटो स्वअभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम -
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं

   कार्यालय का नाम -
3. आवेदित पद का नाम -
4. जन्म तिथि -
5. सेवानिवृत्ति की तिथि -
6. अंतिम वेतन -
7. निर्धारित वेतन -

   (पेंशन प्राधिकार पत्र की छाया प्रति)
8. सेवानिवृत्ति की तिथि या पूर्व से विभागीय आरोप / विभागीय कार्रवाई की स्थिति -
9. आरक्षण श्रेणी -

   (आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. पत्राचार का पता -
11. स्थायी पता -

घोषणा पत्र

(i) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है । सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी सँविदा पर नियोजन संबंधी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

(ii) सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 2387 दिनांक 02.12.2011 एवं अधिसूचना संख्या 365, दिनांक 01.02.2016 की सभी शर्तें मान्य है ।

आवेदक का हस्ताक्षर